न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

बंटवारा वाद सं0-732/12
सीआईएस संख्या -500/18
दिनांक 15.01.2024

आदेश

दिनांकः 15.01.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ से दिनांक 07.12.2023 को आदेश 22 नियम 3, आदेश 22 नियम 9 तथा परिसीमा विधि की धारा 5 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत मामले में वादी सं0 1अखिलेश्वर पाण्डेय की मृत्यु 31.07.2023 को हो गयी है । वह अपने पीछे अपनी पत्नी माधुरी देवी जो वादी सं0 2 है और तीन पुत्र और दो पुत्री को छोड़कर मर गये। चूंकि मामले में वादी अनपढ़ तथा गवार घरेलू औरत है और समय से इसकी जानकारी अधिवक्ता को नहीं बता सकी है इसलिए परिसीमा विधि की धारा 5 का लाभ देते हुए वादी सं0 1 का नाम कलमजद करते हुए उनके वारिसान को वादी सं0 1क सुशील पाण्डेय, 1ख संजीव आनंद , 1ग सुनील कुमार पाण्डेय 1घ श्वेता तिवारी, 1ड0 शशिबाला तिवारी सभी साकिन संग्रामपुर थाना संग्रामपुर जिला पूर्वी चम्पारण को प्रतिस्थापित करने की कृपा करें।

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी की तरफ से प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

मामले में वादी के आवेदन का अवलोकन किया। समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेख का अनुशीलन किया। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है मामले में वादी सं0 1अखिलेश्वर पाण्डेय की मृत्यु 31.07.2023 को हो गयी है । वह अपने पीछे अपनी पत्नी माधुरी देवी जो वादी सं0 2 है और तीन पुत्र और दो पुत्री को छोड़कर मर गये। चूंकि मामले में वादी अनपढ़ तथा गवार घरेलू औरत है और समय से इसकी जानकारी अधिवक्ता को नहीं बता सकी है इसलिए परिसीमा विधि की धारा 5 का लाभ देते हुए वादी सं0 1 का नाम कलमजद करते हुए उनके वारिसान को वादी सं0 1क सुशील पाण्डेय, 1ख संजीव आनंद , 1ग सुनील कुमार पाण्डेय 1घ श्वेता तिवारी, 1ड0 शशिबाला तिवारी सभी साकिन संग्रामपुर थाना संग्रामपुर जिला पूर्वी चम्पारण को पक्षकार बनाने के संबंध में आवेदन है चूंकि वादी के द्वारा दिया गया आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और मामले में वादी सं0 1 की मृत्यु होने के कारण उनका नाम कलमजद करना आवश्यक है अतः 500रु खर्चा जो अरेराज न्यायालय में जमा किया जाएगा । आवेदन में हुए विलंब को माफ करते हुए वादी का आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। वाद दिनांक .... वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।